I

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्र0सं0 13/24 दायरा दिनांक 04.12.2024

पीठासीन अधिकारी – श्री संतोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

–प्रार्थी

बनाम

1. रमतूबाई पत्नि मढिया भील निवासी धनसूरी तहसील शाहाबाद जिला बांरा राज.
2. सुनीता पत्नि अमरदीप जाति सहरिया निवासी बालदा तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
3. श्यामदास पुत्र अमरा जाति सहरिया निवासी फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
4. रमेश पुत्र मंशाराम जाति भील निवासी सिलोरी तहसील शाहावाद जिला बारां राज.

–अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय दिनांक – 12.12.2024

उपस्थित – प्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार

अप्रार्थी की ओर से – स्वयं

1. मामला संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम धनसूरी पटवार मण्डल अजरोंडा उपतहसील केलवाडा में सेटलमेंट जमाबंदी संवत 2020–39 में ख.नं. 32 रकबा 25.08 बीघा भूमि सिवायचक दर्ज थी, जिसमें से नामा. नं. 24 से 5.02 बीघा भूमि रामसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह को दिनांक 17.12.69 को आवंटन हुई थी, ख.नं. 32/30.06 बीघा में से नामा.नं. 67 से 15.00 बीघा भूमि श्यामलाल पुत्र अमरा सहरिया निवासी फरेदुआ उपरेटी को दिनांक 19.11.1971 को आवंटन हुई थी, ख.नं. 32/15.06 बीघा में से नामा.नं. 119 से 10.00 बीघा भूमि जबरा पुत्र कल्लू भील निवासी धनसूरी को आवंटन हुई थी तथा ख.नं. 32 में 5.06 बीघा भूमि वर्तमान में सिवायचक बंजड दर्ज खाता चली आ रही है। इस प्रकार सेटलमेंट जमाबंदी अनुसार ख.नं. 32 का रकबा 25.08 बीघा दर्ज था, जिसमें से विभिन्न खातेदारान को 30.02 बीघा रकबा आवंटन है तथा वर्तमान में 5.06 बीघा भूमि सिवायचक दर्ज है। वर्तमान में राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना (DILRMP) अन्तर्गत तरमीम कार्य प्रगति पर है, जिसमें बाधा आ रही है, जिसे दुरूस्त किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः वर्तमान जमाबंदी में ख.नं. 32 रकबा 25.08 बीघा के स्थान पर 35.08 बीघा भूमि दर्ज हो रही है, जिसे दुरूस्त करने बावत सादर आदेश फरमावें।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर [illegible] जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 व्यक्तिशः उप[illegible] उक्त दुरूस्ती बावत लिखित सहमति नामा पेश किया कि उसे ख.नं. 3[illegible] रकबा 25.08 बीघा दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2025.02.01 13:23:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with OKEN Scanner

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड जमाबंदी सेटलमेंट ग्राम धनसूरी तहसील शाहावाद संवत 2020–39 में ख.नं. 32 का कुल रकबा 25.08 बीघा किस्म बंजड दर्ज रहा है, जिसमें से सर्वप्रथम 5.02 बीघा भूमि रामसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के नाम आवंटन होकर नामा.नं. 24 दर्ज है। इसके बाद 15.00 बीघा भूमि श्यामलाल पुत्र अमरा सहरिया के नाम आवंटन हुई है, जिसका नामा.नं. 67 दर्ज करते समय कुल रकबा 30.06 बीघा गलत दर्ज कर दिया, जबकि 20.06 बीघा दर्ज किया जाना चाहिये था, क्योंकि कुल रकबा 25.08 बीघा में से प्रथम आवंटी रामसिंह को आवंटित रकबा 5.02 बीघा का अमल होने के बाद शेष रकबा 20.06 बीघा ही शेष बचेगा, इस शेष रकबा 20.06 बीघा में से दूसरे आवंटी श्यामलाल को आवंटित भूमि 15.00 बीघा का अमल होने के बाद शेष रकबा 5.06 बीघा रहेगा। परन्तु श्यामलाल के आवंटन का नामान्तरण दर्ज करते समय कुल सिवायचक रकबा 20.06 बीघा के स्थान पर 30.06 बीघा दर्ज कर देने की वजह से जमाबंदी में शेष सिवायचक रकबा 15.06 बीघा गलत दर्ज कर दिया, जबकि 5. 06 बीघा दर्ज किया जाना चाहिये था।

4. यह कि इस प्रकार गलत सिवायचक रकबा 15.06 बीघा दर्ज होने से बाद में 10.00 बीघा भूमि जबरा पुत्र कल्लू भील निवासी धनसूरी को आवंटन हो गई, जबकि जबरा के आवंटन के समय ख.नं. 32 में मात्र 5.06 बीघा भूमि ही शेष बची थी। इस प्रकार या तो जबरा का आवंटन निरस्त कराया जावे अथवा जबरा का आवंटन अमल रकबा 5.06 बीघा तक ही किया जावे।

5. यह कि इस प्रकार प्रथम आवंटी रामसिंह तथा द्वितीय आवंटी श्यामलाल किसी भी प्रकार की दुरूस्ती से अप्रभावित रहेंगे तथा तीसरा आवंटी जबरा ही प्रभावित होगा, इस कारण उक्त प्रार्थनापत्र जबरा के विरूद्व ही पेश किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रकरण की संपूर्ण जांच किये बिना ही जल्दवाजी में प्रार्थनापत्र पेश किया जाना पाया जाता है।

6. अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती गलत तथ्यों एवं गलत अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किये जाने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है और तहसीलदार शाहावाद को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण की संपूर्ण जांच के पश्चात सही तथ्यों के आधार पर पुनः नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय आज दिनांक 12.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2025.02.01 13:23:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner